भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2964

20 दिसंबर, 2023 के लिए प्रश्न

खाद्यान्नों के उत्पादन और खरीद के बीच अंतर

2964. श्री हाजी फजलुर रहमान:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में खाद्यान्नों के उत्पादन और खरीद के बीच भारी अंतर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा इस अंतर को पाटने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) विगत चार वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कुल कितनी मात्रा में गेहूं और चावल की खरीद की गई है?

उत्तर

ग्रामीण विकास तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क) से (घ): किसी राज्य में खरीद न केवल उत्पादन पर बल्कि विपणन योग्य अधिशेष, न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी), प्रचलित बाजार दर, मांग और आपूर्ति की स्थिति और निजी व्यापारियों की भागीदारी आदि जैसे अन्य कारकों पर भी निर्भर करती है।

धान और गेहूं की खरीद के अनुमान को प्रत्येक विपणन मौसम की शुरुआत से पहले अनुमानित उत्पादन, विपणन योग्य अधिशेष और कृषिगत फसल पैटर्न के आधार पर राज्य सरकारों और भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के परामर्श से भारत सरकार द्वारा अंतिम रूप दिया जाता है।

पिछले चार वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में गेहूं और धान (चावल के रूप में) का उत्पादन एवं खरीद इस प्रकार है:-

गेंहू:

आरएमएस	उत्पादन (लाख टन में)	खरीद (लाख टन में)
2019-20	1035.96	341.32
2020-21	1078.61	389.92
2021-22	1095.86	433.44
2022-23	1077.42	187.92
2023-24	1105.54	262.02

.....2/-

धान (चावल के रूप में):

केएमएस	उत्पादन (लाख टन में)	खरीद (लाख टन में)
2019-20	1188.70	518.26
2020-21	1243.68	602.45
2021-22	1294.71	575.88
2022-23	1357.55	568.66
2023-24 (केवल खरीफ फसल)	1063.13	224.75 (दिनांक 11.12.2023 तक)

देश में किसानों से खरीद की सुविधा बढ़ाने के लिए निम्न कदम उठाए गए हैं:

(i) खरीद केंद्र संबंधित राज्य सरकार की एजेंसियों/एफसीआई द्वारा अनुमानित उत्पादन, विपणन योग्य अधिशेष, किसानों की सुविधा और अन्य लॉजिस्टिक्स/बुनियादी ढांचे जैसे भंडारण और परिवहन आदि की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए खोले जाते हैं। मौजूदा मंडियों और डिपुओं/गोदामों के अलावा, किसानों की सुविधा के लिए प्रमुख बिंदुओं पर बड़ी संख्या में अस्थायी खरीद केंद्र भी स्थापित किए गए हैं।

(ii) धान और गेहूं के लिए एमएसपी प्रचालनों की पहुंच को व्यापक बनाने के लिए, भारत सरकार ने राज्य खरीद एजेंसियों के माध्यम से सहकारी समितियों/स्वयं सहायता समूहों/पंचायतों/प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पीएसीएस) की भागीदारी का प्रावधान किया है, ताकि अधिकतम किसान मूल्य समर्थन प्रचालनों का लाभ उठा सकें।

(iii) किसानों को उनकी उपज को विनिर्देशों के अनुरूप लाने में सुविधा प्रदान करने के लिए गुणवत्ता विनिर्देशों और खरीद प्रणाली आदि के बारे में जागरूक किया जाता है। एमएसपी का भुगतान सीधे तौर पर किसानों के बैंक खाते में किया जा रहा है।

(iv) एफसीआई और सभी खरीद करने वाले राज्यों ने उचित पंजीकरण और वास्तविक खरीद की निगरानी के माध्यम से किसानों को पारदर्शिता और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए अपनी खुद की ऑनलाइन खरीद प्रणाली विकसित की है।

(v) खरीद एजेंसियों द्वारा तैनात ई-खरीद मॉड्यूल के माध्यम से, किसानों को घोषित एमएसपी, निकटतम खरीद केंद्र, किसान को अपनी उपज खरीद केंद्र पर लाने की तारीख आदि के बारे में नवीनतम/अद्यतन जानकारी मिलती है। इससे किसानों को मण्डी/क्रय केन्द्रों में आसानी से स्टॉक की डिलीवरी करने की सुविधा मिलती है।

*****